3

per procesion section 200

SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

Case No159/17	Complaint or report madeon
Name and address of the Complainant	प्रात्म विश्व कार्य कार
	2756
Name , paren	tage, caste and address of accused
SU PYES THERE YOU THE A	10.
2130 S10 HIMAL	
Poc - 51311 MIN	Elle 10014/
	i masi
The offence, complain	ant of, and date of, its alleged commission
आप पर आरोप	है कि दिनांक 25/2/17 मुकाम पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने
	'बोतल शराब विकथ/परिवहन हेतु रखी।
ऐसा करके आपने आबक	ारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय
अपराध कारित किया।	ACA Committee
क्या आपको उक्त	अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।
	द्वार्थी है जिस्सी
The plea of the	accused and his examination (if any)
अपराध स्वीकार है। न्यून दण्ड से दण्डित व	हरने का निवेदन है। <u>जिल्ल</u> क्रिक्किक

//निर्णय//

(आज दिनांक २.५। १ १३ को घोषित)

- 01. <u>अ</u>भियुक्त के विरूद्ध आबकारी अधि० 1915 की धारा 34–1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
- 02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अत अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।

मानित की जावे। अपील हा की भा में मानंव अपील न्यायालय के आदेश का